कबाड़ से शुरू, जाली नोटों तक पहुंचा

झाड़-फूंक से बनी पहचान तो शुरू किया मदरसा, वहीं पर रहकर करने लगा जाली नोटों की छपाई

शांति स्वरूप पांडेय

श्रावस्ती। बौरगंज बाजार में एक वर्ष पूर्व तक कबाड़ का कारोबार करने वाला नूरी बाबा देखते ही देखते नकली नोटों का कारोबारी बन गया। इसके बाद उसकी लगातार आमदनी बढ़ती गई। इस बीच झाड़-फूंक से मिली पहचान के बाद वह गंगापुर के लक्ष्मनपुर में मदरसा प्रबंधक बन गया। बुधवार को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो उसके तार नेपाल से भी जुड़े मिले।

नेपाल सीमा से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित मल्हीपुर थाना क्षेत्र का लक्ष्मनपुर गंगापुर गांव बुधवार को अचानक सुर्खियों में आ गया। यहां के फैजुर्रनबी मदरसे में जाली नोट छापने के आरोप में प्रबंधक मुबारक अली उर्फ नूरी बाबा को गिरफ्तार किया गया। एक वर्ष पूर्व तक नूरी बाबा बौरगंज बाजार स्थित अपने मकान में कबाड़ का कारोबार करता था। इसके बाद वह बहराइच के पयागपुर क्षेत्र के ग्राम काशी जोत निवासी जलील अहमद के संपर्क में आया।

यहीं से उसकी जिंदगी बदली और वह जाली नोट छापने के कारोबार में जुट गया। इसके बाद उसने कबाड़ की दुकान बंद कर दी। पुलिस के अनुसार नेपाल से महाराष्ट्र तक अपने नेटवर्क के माध्यम से जाली नोट का कारोबार फैलाने में जुट गया।

■ झाड़-फूंक ने मुबारक अली को बना दिया नूरी बाबा

नूरी बाबा के पिता असगर अली की मौत करीब 30 वर्ष पहले हुई थी। पांच भाइयों में नूरी बाबा तीसरे नंबर पर है। बड़ा भाई पुल्लू गांव में रहकर खेती करता है। दूसरा अकबर अली उर्फ बादशाह है। चौथे नंबर का रफीक व पांचवां भाई मुनव्वर अली मुंबई में रहकर कबाड़ का कारोबार करता है। नूरी बाबा बौरगंज में कबाड़ का काम करते हुए झाड़फूंक भी करने लगा, जिसने उसे मुबारक अली से नूरी बाबा के रूप में पहचान दिलाई। वर्ष 2016 में नूरी बाबा ने गांव के ही बाल मुकुंद पाठक के पुत्र पंकज, प्रेम, रामवचन, किशोर व सुशील के हिस्से की करीब ढाई बीघा भूमि खरीदकर उसमें मदरसा बनवा लिया। (संवाद)

बुधवार को पुलिस ने मदरसा प्रबंधक व उसके चार साथियों को किया था गिरफ्तार

तेजी से बना धनाढ्य तो ऊंची हुई पहुंच

विगत दस वर्ष में नूरी बाबा ने अकूत संपत्ति खड़ी कर दी। बौरगंज बाजार सहित लक्ष्मनपुर गांव में उसने चार मकान बनवा लिए। ग्रामीणों के अनुसार उसने मुंबई में भी एक मकान बनवाया है।

गांव में रहती है पहली पत्नी

नूरी बाबा का पहला निकाह शबीना से हुआ था, जिससे चार बेटियां व दो बेटे हैं। अभी वह गांव में ही रहती है। दूसरी पत्नी बहराइच के मदरसा जामिया नूरिया मस्जिद में शिक्षिका है। अन्य तीन पत्नियां अलग-अलग स्थानों पर रहती हैं।

आरोपियों की खुलेगी हिस्ट्रीशीट

जाली नोट मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों में से तीन बहराइच के हैं, जबकि दो श्रावस्ती के ही हैं। सभी आरोपियों की हिस्ट्रीशीट खोली जाएगी। इसके लिए बहराइच के एसपी को पत्र लिखा जाएगा। **घनश्याम चौरसिया,** एसपी

मदरसे की आड़ में दवाखाना भी चलाता था

पवन सेठ

तुलसीपुर (श्रावस्ती)। मदरसा दारुल उलूम फैजुर्रनबी की न तो बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता है और न ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से। बगैर मान्यता वर्षों से संचालित मदरसे पर जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ी। बुधवार को जब जाली नोट छापने का मामला उजागर हुआ तो एक के बाद एक नए खुलासे होते गए। पुलिस के अनुसार मदरसे की आड़ में नूरी बाबा शक्तिवर्धक दवाखाना भी चलाता था।

बृहस्पतिवार को मौके पर पहुंचे एसपी घनश्याम चौरसिया ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें पता चला कि मदरसा संचालक मुबारक अली उर्फ नूरी बाबा ने हाल के दिनों में कई जगह जमीनें खरीदी हैं। मदरसे की आड़ में हकीम का भी काम करता था। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि मदरसे में महिलाओं व लड़कियों का आना-जाना रहता था। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम ने बताया कि प्रथम दृष्टया मदरसा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था।

■ खलिहान की भूमि पर बना लिया मकान

नूरी बाबा ने गांव के गाटा संख्या 81 रकबा 0.285 हेक्टेअर भूमि पर मकान बना लिया है। यह भूमि सरकारी अभिलेखों में खलिहान है। उसका दूसरा मकान गाटा संख्या 271 में बना हुआ है। यह मकान तालाब की भूमि पर है। उसका सिर्फ पुराना व गांव स्थित एक अन्य मकान ही वैध है। दो मकान अवैध हैं। (संवाद)

अली उर्फ नूरी बाबा गंगापुर स्थित मदरसे का बृहस्पतिवार को निरीक्षण करते एसपी। स्रोत: पुलिस विभाग

एक ही गाटा संख्या में दो मदरसे

नूरी बाबा के कारनामे सुन पूरा गांव दंग है। पुलिस भी हैरत में है। जाली नोट छापने के साथ ही वह मदरसे के नाम पर भी बड़ा खेल कर रहा था। जमुनहा तहसील क्षेत्र के लक्ष्मनपुर गंगापुर के गाटा संख्या 96 में 50 खाताधारक हैं। इनमें से दो खाते अलग-अलग मदरसों के नाम दर्ज हैं। मौके पर बस दारुल उलूम फैजुर्रनबी मदरसे ही मिला। दूसरे मदरसे का पता नहीं चला। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मनपुर गंगापुर के गाटा संख्या 96 का कुल रकबा 5.342 हेक्टेअर है। इसमें दो मदरसा सहित कुल 50 खाताधारक हैं। इसी रकबा में मुबारक अली शाह उर्फ नूरी का मदरसा फैजुर्रनबी भी है। इसके संरक्षक का नाम असगर अली दर्ज है जो जाली नोट छापने वाले मदरसा संचालक का पिता बताया जाता है। इसका रकबा 0.240 हेक्टेअर (करीब पौने तीन बीघा) है। ग्रामीणों के अनुसार असगर अली की मौत करीब 30 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वहीं गाटा संख्या 96 में एक अन्य मदरसा रिजविया अहले सुन्नत वल जमाअत अंजुमन बरकते रजा भी दर्ज है। इसके संरक्षक व प्रबंधक का नाम गांव निवासी नूरजहां पत्नी जमील खां सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। लेकिन, यह मदरसा न तो गाटा संख्या 96 में संचालित है और न ही गांव के लोगों को इस मदरसे के बारे में कोई जानकारी है। (संवाद)